सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
आश्विन 17, गुरूवार, *शाके* 1947- अक्टूबर 09, 2025 Asvina 17, Thursday, Saka 1947- October 09, 2025	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक विभाग

क-ग्रुप-2

अधिसूचना

जयपुर, अक्टूबर 06, 2025

जी.एस.आर.83 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1973 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 20 का संशोधन.- राजस्थान तकनीकी शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम, 1973, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के विद्यमान नियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

"20. बोर्ड की सिफारिश.- बोर्ड लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर, योग्यता क्रम में व्यवस्थित ऐसे अभ्यर्थियों की एक सूची तैयार करेगा, जिन्हें वह संबंधित पदों पर नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझे और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगा। बोर्ड ऐसे किसी भी अभ्यर्थी की सिफारिश नहीं करेगा जो लिखित परीक्षा में न्यूनतम 40 प्रतिशत अंक प्राप्त करने में असफल रहता है:

परंतु,-

(i) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए यथा उपर्युक्त नियत प्रतिशत में 5 प्रतिशत तक का शिथिलीकरण किया जायेगा।

(ii) बोर्ड विज्ञापित रिक्तियों की 50 प्रतिशत की सीमा तक, उपयुक्त अभ्यर्थियों के नाम प्रवर्गवार आरक्षित सूची में भी रख सकेगा। बोर्ड, अध्यपेक्षा किये जाने पर, बोर्ड द्वारा मूल सूची नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित किये जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर, नियुक्ति प्राधिकारी को ऐसे अभ्यर्थियों के नाम की योग्यता क्रम में सिफारिश कर सकेगा।"

3. अनुसूची-I का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-। में क्रम संख्यांक 2 के सामने स्तम्भ संख्यांक 4 में, विदयमान अभिव्यक्ति "तीन वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम'' के स्थान पर अभिव्यक्ति "तीन वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम या, यथास्थिति, दो वर्ष का डिप्लोमा पाठ्यक्रम" प्रतिस्थापित की जायेगी।

4. अनुसूची-II का संशोधन.- उक्त नियमों से संलग्न अनुसूची-।। में विद्यमान अभिव्यक्ति,-

"3. सभी प्रश्न समान अंकों के होंगे और ऋणात्मक अंक नहीं होगा।" के स्थान पर अभिव्यक्ति,-

"3. सभी प्रश्न समान अंकों के होंगे। उत्तरों के मूल्यांकन में ऋणात्मक अंकन लागू होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों का एक तिहाई भाग काटा जायेगा।

4. न्यूनतम अर्हक अंक 40 प्रतिशत होंगे, परंतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए यथा उपर्युक्त नियत प्रतिशत में 5 प्रतिशत तक का शिथिलीकरण किया जायेगा।"

प्रतिस्थापित की जायेगी।

[सं.एफ. 2(1) डीओपी/ए-।।/93]
राज्यपाल के आदेश और नाम से,
दिनेश कुमार शर्मा,
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL
(A-Gr.-II)
NOTIFICATION
Jaipur, October 06, 2025

G.S.R.83 .-In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan Technical Education Subordinate Service Rules, 1973, namely:-

1. Short title and commencement.- (1)These rules may be called the Rajasthan Technical Education Subordinate Service (Amendment) Rules, 2025.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment of rule 20.- The existing rule 20 of the Rajasthan Technical Education Subordinate Service Rules, 1973, hereinafter referred to as the said rules, shall be substituted by the following, namely:-.

"20. **Recommendation of the Board.-** The Board shall prepare a list of the candidates whom it considers suitable for appointment to posts concerned and arranged in the order of merit on the basis of marks obtained in the written examination and forward the same to the Appointing Authority. The Board shall not recommend any candidate who has failed to obtain a minimum of 40% marks in the written examination:

Provided that,-

(i) the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(ii) the Board may also, to the extent of 50% of the advertised vacancies, keep names of suitable candidates on the reserve list category-wise. The Board may on requisition, recommend the names of such candidates in order of merit to the

Appointing Authority within one year from the date on which the original list is forwarded by the Board to the Appointing Authority."

3. Amendment of Schedule-I. – In Schedule-I appended to the said rules, in column number 4 against serial number 2, for the existing expression "Three years Diploma course", the expression "Three years Diploma course or Two years Diploma course, as the case may be" shall be substituted.

4. Amendment of Schedule-II.- In Schedule-II appended to the said rules, for the existing expression,-

"3. All questions shall carry equal marks and there shall be no negative marking.", the expression,-

"3. All questions shall carry equal marks. Negative marking shall be applicable in the evaluation of answers. For every wrong answer one third of the marks prescribed for that particular question shall be deducted.

4. The minimum qualifying marks shall be 40%. Provided that the percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidates belonging to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes."

shall be substituted.

[No. F. 2(1)DOP/A-II/93]
By order and in the name of the Governor,
DINESH KUMAR SHARMA,
JOINT SECRETARY TO THE GOVERNMENT.

Government Central Press, Jaipur.